

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर

पीठारीन अधिकारी-श्री सुभाष कुमार (आर.ए.एस)

मु0न0 - 256/2019

1. आशाराम पुत्र हेतराम जाति कुम्हार निवासी बीझवायला तहसील पदमपुर हाल निवासी चक 7 ई छोटी नोजगे स्कूल के पास श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर -वादी-

बनाम्

1. हेतराम पुत्र हरसुख जाति कुम्हार निवासी बीझवायला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. तुलछाराम पुत्र हेतराम जाति कुम्हार निवासी बीझवायला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. मदनलाल पुत्र हेतराम जाति कुम्हार निवासी सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़।
3. अमरी देवी उर्फ गुडडी देवी पुत्री हेतराम पत्नि खिराज जाति कुम्हार निवासी हरखेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
5. पी0एस0बी शाखा बीझवायला जरीये शाखा प्रबन्धक।

-प्रतिवादीगण -

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88 आरटीए

निर्णय

दिनांक:- 17/1/20



संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि चक 41 एलएनपी तहसील पदमपुर की जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के खाता सं0 82/71 के मुरबा नं0 14 के किला नं0 19/2, 20/1, 21 ता 23 में 0.986 है0 बारानी व मुरबा नं0 22 के किला नं0 5/3, 6 में 0.354 व मुरबा नं0 23 के किला नं0 6/2, 7 ता 25 में 4.913 है0 कुल तादादी 6.253 है0 नहरी बारानी मय खाला वादी के पिता हेतराम पुत्र हरसुख के नाम दर्ज है उक्त भूमि मेरे पिता को विरास्तन एवं सयुक्त आय से अर्जित सम्पति है। जो हमारे सयुक्त परिवार के हिन्दु खानदान की एच0यू0एफ प्रोपर्टी है। उक्त तमाम जायदाद मुझ वादी परिवार की सयुक्त हिन्दु खानदान की पैतृक सम्पति है जो कि मुझ वादी व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 के पिता प्रतिवादी सं0 1 को विरास्तन प्राप्त हुई है। मुझ वादी की पत्नि विमलादेवी के नाम चक 41 एलएनपी के खाता सं0 58 के मुरबा नं0 20, 22 की कुल 6.464 है0 भूमि में से 1.269 है0 भूमि पारिवारिक विरास्तन सम्पति की आय से खरीद कर नाम करवा दी गई हैं व मुझ वादी के पिता के नाम दर्ज उक्त विरास्तन प्रोपर्टी का मुताबिक घरू बंटवारा के हिसाब से पंचाट निर्णय लिया हुआ है। जो निम्न प्रकार से है।

20  
(सुभाष कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
पदमपुर (राज0)

(क) वादी आशाराम के हिस्सा की भूमि :- चक 41 एलएनपी तहसील पदमपुर की जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के खाता सं० 82/71 के मुरबा नं० 14 की 0.986 है० में से 0.329 है० बारानी व मुरबा नं० 22 के किला नं० 5/3/0.101 है०, 6/0.253 है० कुल 0.354 है० नहरी मय खाला , मुरबा नं० 23 के किला नं० 10/0.044 है०, 11/0.044 है०, 20/0.044 है० 21/0.044 है० कुल 0.176 है० नहरी इस प्रकार कुल तादादी रकबा 0.859 है० नहरी बारानी मय खाला भूमि हिस्सा व कब्जा में आई है।

(ख) प्रतिवादी सं० 1 हेतराम के हिस्सा की भूमि :- चक 41 एलएनपी तहसील पदमपुर की जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के खाता सं० 82/71 के मुरबा नं० 23 के किला नं० 9/0.076 है०, 10/0.209 है०, 11/0.209 है०, 12/0.076 है०, 19/0.076 है०, 20/0.209 है०, 21/0.209 है०, 22/0.076 है० कुल तादादी रकबा 1.140 है० नहरी भूमि हिस्सा व कब्जा में आई है।

(ग) प्रतिवादी सं० 2 तुलछाराम के हिस्सा की भूमि :- चक 41 एलएनपी तहसील पदमपुर की जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के खाता सं० 82/71 के मुरबा नं० 14 के किला नं० 19/2/0.063 है०, 20/1/0.164 है०, 21 ता 23 प्रत्येक 0.253 है० कुल 0.986 है० में से 0.329 है० बारानी व मुरबा नं० 23 के किला नं० 16/0.205 है० 17/0.253, 18/0.253, 19/0.177, 22/0.177, 23/0.253, 24/0.253, 25/0.227 है० कुल तादादी रकबा 2.127 है० नहरी बारानी भूमि हिस्सा में आई है।

(घ) प्रतिवादी सं० 3 मदनलाल के हिस्सा की भूमि :- चक 41 एलएनपी के खाता सं० 82/71 के मुरबा नं० 14 के किला नं० 19/2/0.063, 20/1/0.164, 21 ता 23 प्रत्येक 0.253 है० कुल 0.986 है० में से 0.328 है० बारानी व मुरबा नं० 23 के किला नं० 6/0.182, 7/0.253, 8/0.253, 9/0.177, 12/0.177, 13/0.253, 14/0.253, 15/0.228, 16/0.023 है० कुल 1.799 है० नहरी कुल तादादी रकबा 2.127 है० नहरी बारानी भूमि हिस्सा व कब्जा में आई है।

वदगत आराजी के सम्बन्ध में वादी व प्रतिवादी के मध्य पारिवारिक समझौता हुआ जिसके मुताबिक भूमि की अच्छी व हल्की किस्म का आंकलन करते हुए वादी के हिस्सा में 0.859 है० नहरी बारानी मय खाला वादी की पत्नि के नाम पूर्व से दर्ज 1.269 है० भूमि कुल वादी व वादी की पत्नि के हिस्सा में 2.128 है० भूमि हिस्सा व

कब्जा में आयी है उक्त भूमि को हिस्सानुसार नाम करवाने हेतु प्रतिवादी सं० 1 को कहा तो वह भूमि नाम करवाने से इन्कार हो गये तथा कहने लगे कि उक्त भूमि तमाम भूमि को बैचान करके खुर्द बुर्द कर देगा जो यही वाद कारण है। वादी व प्रतिवादी सं० 2 ता 3 पारिवारिक समझौता (पंचाट निर्णय) के अनुसार प्रतिवादी



सं० 1 के नाम दर्ज भूमि में से अपने हिस्सा व कब्जा में आई भूमि का हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है अगर प्रतिवादी सं० 1 वादगत आराजी भूमि को बैचान करने में सफल हो गया तो वादी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी भरपाई मुद्रा में नहीं आंकी जा सकेगी। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन ,राईट व टाईटल वादी के पक्ष में बनना पाया जाता है। वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र निम्न प्रकार से डिक्ली फरमाया जावें।

(क) वादी आशाराम के हिस्सा की भूमि :- चक 41 एलएनपी तहसील पदमपुर की जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के खाता सं० 82/71 के मुरबा नं० 14 की 0.986 है० में से 0.329 है० बारानी व मुरबा नं० 22 के किला नं० 5/3/0.101 है०, 6/0.253 है० कुल 0.354 है० नहरी मय खाला , मुरबा नं० 23 के किला नं० 10/0.044 है०, 11/0.044 है०, 20/0.044 है० 21/0.044 है० कुल 0.176 है० नहरी इस प्रकार कुल तादादी रकबा 0.859 है० नहरी बारानी मय खाला भूमि का खातेदार घोषित करते हुए खाता विभाजन किया जावें।

(ख) प्रतिवादी सं० 1 हेतराम के हिस्सा की भूमि :- चक 41 एलएनपी तहसील पदमपुर की जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के खाता सं० 82/71 के मुरबा नं० 23 के किला नं० 9/0.076 है०, 10/0.209 है०, 11/0.209 है०, 12/0.076 है०, 19/0.076 है०, 20/0.209 है०, 21/0.209 है०, 22/0.076 है० कुल तादादी रकबा 1.140 है० नहरी भूमि का खातेदार घोषित करते हुए खाता विभाजन किया जावें।

(ग) प्रतिवादी सं० 2 तुलछाराम के हिस्सा की भूमि :- चक 41 एलएनपी तहसील पदमपुर की जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के खाता सं० 82/71 के मुरबा नं० 14 के किला नं० 19/2/0.063 है०, 20/1/0.164 है०, 21 ता 23 प्रत्येक 0.253 है० कुल 0.986 है० में से 0.329 है० बारानी व मुरबा नं० 23 के किला नं० 16/0.205 है० 17/0.253, 18/0.253, 19/0.177, 22/0.177, 23/0.253, 24/0.253, 25/0.227 है० कुल तादादी रकबा 2.127 है० नहरी बारानी भूमि का खातेदार घोषित करते हुए खाता विभाजन किया जावें।

(घ) प्रतिवादी सं० 3 मदनलाल के हिस्सा की भूमि :- चक 41 एलएनपी के खाता सं० 82/71 के मुरबा नं० 14 के किला नं० 19/2/0.063, 20/1/0.164, 21 ता 23 प्रत्येक 0.253 है० कुल 0.986 है० में से 0.328 है० बारानी व मुरबा नं० 23 के किला नं० 6/0.182, 7/0.253, 8/0.253, 9/0.177, 12/0.177, 13/0.253, 14/0.253, 15/0.228, 16/0.023 है० कुल 1.799 है० नहरी कुल तादादी रकबा 2.127 है० नहरी बारानी भूमि का खातेदार घोषित करते हुए खाता विभाजन किया जावें।




20  
(सुभाष कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
पदमपुर (राज०)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से राजीनामा प्रस्तुत किया गया। जिसे तस्दीक कर शामिल मिसल किया गया। राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि (क) वादी आशाराम के हिस्सा की भूमि :- चक 41 एलएनपी तहसील पदमपुर की जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के खाता सं० 82/71 के मुरबा नं० 14 की 0.986 है० में से 0.329 है० बारानी व मुरबा नं० 22 के किला नं० 5/3/0.101 है०, 6/0.253 है० कुल 0.354 है० नहरी मय खाला , मुरबा नं० 23 के किला नं० 10/0.044 है०, 11/0.044 है०, 20/0.044 है० 21/0.044 है० कुल 0.176 है० नहरी इस प्रकार कुल तादादी रकबा 0.859 है० नहरी बारानी मय खाला भूमि का खातेदार घोषित करते हुए खाता विभाजन किया जावें।

(ख) प्रतिवादी सं० 1 हेतराम के हिस्सा की भूमि :- चक 41 एलएनपी तहसील पदमपुर की जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के खाता सं० 82/71 के मुरबा नं० 23 के किला नं० 9/0.076 है०, 10/0.209 है०, 11/0.209 है०, 12/0.076 है०, 19/0.076 है०, 20/0.209 है०, 21/0.209 है०, 22/0.076 है० कुल तादादी रकबा 1.140 है० नहरी भूमि का खातेदार घोषित करते हुए खाता विभाजन किया जावें।

(ग) प्रतिवादी सं० 2 तुलछाराम के हिस्सा की भूमि :- चक 41 एलएनपी तहसील पदमपुर की जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के खाता सं० 82/71 के मुरबा नं० 14 के किला नं० 19/2/0.063 है०, 20/1/0.164 है०, 21 ता 23 प्रत्येक 0.253 है० कुल 0.986 है० में से 0.329 है० बारानी व मुरबा नं० 23 के किला नं० 16/0.205 है० 17/0.253, 18/0.253, 19/0.177, 22/0.177, 23/0.253, 24/0.253, 25/0.227 है० कुल तादादी रकबा 2.127 है० नहरी बारानी भूमि का खातेदार घोषित करते हुए खाता विभाजन किया जावें।

(घ) प्रतिवादी सं० 3 मदनलाल के हिस्सा की भूमि :- चक 41 एलएनपी के खाता सं० 82/71 के मुरबा नं० 14 के किला नं० 19/2/0.063, 20/1/0.164, 21 ता 23 प्रत्येक 0.253 है० कुल 0.986 है० में से 0.328 है० बारानी व मुरबा नं० 23 के किला नं० 6/0.182, 7/0.253, 8/0.253, 9/0.177, 12/0.177, 13/0.253, 14/0.253, 15/0.228, 16/0.023 है० कुल 1.799 है० नहरी कुल तादादी रकबा 2.127 है० नहरी बारानी भूमि का खातेदार घोषित करते हुए खाता विभाजन किया जावें।

  
(सुमाष कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
पदमपुर (राज०)

पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा का अवलोकन किया गया। राजीनामा अनुसार वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण व प्रतिवादीगण को राजीनामा के आधार पर खाता विभाजन कर खातेदार रजिस्टर किया जावें।

(क) वादी आशाराम के हिस्सा की भूमि :- चक 41 एलएनपी तहसील पदमपुर की जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के खाता सं० 82/71 के मुरबा नं० 14 की 0.986 है० में से 0.329 है० बारानी व मुरबा नं० 22 के किला नं० 5/3/0.101 है०, 6/0.253 है० कुल 0.354 है० नहरी मय खाला , मुरबा नं० 23 के किला नं० 10/0.044 है०, 11/0.044 है०, 20/0.044 है० 21/0.044 है० कुल 0.176 है० नहरी इस प्रकार कुल तादादी रकबा 0.859 है० नहरी बारानी मय खाला भूमि का खातेदार मालिक घोषित किया जाता हैं।

(ख) प्रतिवादी सं० 1 हेतराम के हिस्सा की भूमि :- चक 41 एलएनपी तहसील पदमपुर की जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के खाता सं० 82/71 के मुरबा नं० 23 के किला नं० 9/0.076 है०, 10/0.209 है०, 11/0.209 है०, 12/0.076 है०, 19/0.076 है०, 20/0.209 है०, 21/0.209 है०, 22/0.076 है० कुल तादादी रकबा 1.140 है० नहरी भूमि का खातेदार मालिक घोषित किया जाता हैं।

(ग) प्रतिवादी सं० 2 तुलछाराम के हिस्सा की भूमि :- चक 41 एलएनपी तहसील पदमपुर की जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के खाता सं० 82/71 के मुरबा नं० 14 के किला नं० 19/2/0.063 है०, 20/1/0.164 है०, 21 ता 23 प्रत्येक 0.253 है० कुल 0.986 है० में से 0.329 है० बारानी व मुरबा नं० 23 के किला नं० 16/0.205 है० 17/0.253, 18/0.253, 19/0.177, 22/0.177, 23/0.253, 24/0.253, 25/0.227 है० कुल तादादी रकबा 2.127 है० नहरी बारानी भूमि का खातेदार मालिक घोषित किया जाता हैं।

(घ) प्रतिवादी सं० 3 मदनलाल के हिस्सा की भूमि :- चक 41 एलएनपी के खाता सं० 82/71 के मुरबा नं० 14 के किला नं० 19/2/0.063, 20/1/0.164, 21 ता 23 प्रत्येक 0.253 है० कुल 0.986 है० में से 0.328 है० बारानी व मुरबा नं० 23 के किला नं० 6/0.182, 7/0.253, 8/0.253, 9/0.177, 12/0.177, 13/0.253, 14/0.253, 15/0.228, 16/0.023 है० कुल 1.799 है० नहरी कुल तादादी रकबा 2.127 है० नहरी बारानी भूमि का खातेदार मालिक घोषित किया जाता हैं। यदि उक्त भूमि बैंक में रहन दर्ज हो तो खातेदारान के संयुक्त खाते में अंकित हिस्से में बदलाव की स्थिति में बैंक से एनओसी जारी होने के बाद निर्णय की पालना की जावे। खातेदारान के हक हिस्से में बदलाव न होने की दशा में संबंधित खातेदार के खाते में बैंक का रहन यथावत दर्ज रखा जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 17/01/2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

